

(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर०के० मिश्रा

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5133—दो/2017 विरुद्ध आदेश दिनांक 21—1—2016  
पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा प्रकरण क्रमांक—  
87/अ—19/2014—15.

लल्लू प्रसाद पटेल पिता सूर्यभान पटेल  
निवासी तेलिहा महतमान, थाना तहसील  
हनुमना जिला रीवा म०प्र०

-----आवेदक

विरुद्ध

1. नारेन्द्र प्रताप यादव तनय सियाशरण यादव
2. शिवबहोर तनय रामफल यादव  
दोनों निवासी ग्राम घोघम, थाना तहसील हनुमना  
जिला रीवा म०प्र०

-----अनावेदकगण

श्री रमाकांत पटेल, अभिभाषक, आवेदक  
श्री ब्रजेन्द्र शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 16/7/18 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में  
केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील  
हनुमना जिला रीवा के आदेश दिनांक 21—1—2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार हनुमना के प्रकरण  
क्रमांक 06/अ—19/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 20—11—12 के विरुद्ध  
संहिता की धारा 44(1) के तहत अपील अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के


समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के बिन्दु पर जबाव प्राप्त करने के उपरांत आदेश दिनांक 21-1-16 के द्वारा आवेदक की अपील को अवधि बाधित मानते हुये खारिज किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 470-दो/2016 में पारित आदेश दिनांक 31-3-2016 के द्वारा निगरानी स्वीकार की गई और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। राजस्व मण्डल के आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा माना उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई। माना उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन के प्रकरण क्रमांक 10516/2017 में पारित आदेश दिनांक 3-2-2017 के द्वारा राजस्व मण्डल का आदेश निरस्त कर पुनः नये शिरे से तीन माह में निराकरण के निर्देश दिये। माना उच्च न्यायालय के आदेश प्रत्यावर्त्तन आदेश के तारतम्य में प्रकरण में पुनः उभय पक्षों के तर्क सुने गये।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये जिनका परिसीलन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी को म०प्र० दखल रहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1970 के अतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त था? अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण के आवेदन पर तहसीलदार हनुमना जिला रीवा ने म०प्र० दखल रहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1970 संशोधन के अतर्गत पट्टा प्रदान किया गया है। म०प्र० दखल रहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1970 के अतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील का प्रावधान नहीं है। बल्कि विशेष उपबंध म०प्र ग्रामों में कि दखल रहित भूमि अधिनियम 1970 की धारा 4(क) में अपील का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर निकाला गया निष्कर्ष अवैधानिक नहीं कहा जा सकता। जहां तक तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-11-2012 के विरुद्ध विलम्ब से अपील प्रस्तुत किये

W

जाने का प्रश्न है आवेदक को तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-11-2012 की जानकारी 3 साल तक न होने संबंधी कोई आधार नहीं दर्शाये है जबकि उभय पक्ष एक ही स्थान भूमि के निवासी और आवेदक प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अपने आपको हितबद्ध मानता है। इसके अतिरिक्त आवेदक को दिनांक 25-5-15 को नकल प्राप्त होने के बावजूद भी 9 दिन विलम्ब से दिनांक 03-6-15 को अपील प्रस्तुत करने का कारण नहीं दर्शाया है। दिन प्रतिदिन विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाये जाने पर ही प्रकरण को समय-सीमा में माना जा सकता है। आवेदक की ओर से विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को अवधि वाधित मानकर खारिज की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा का आदेश दिनांक 21-1-2016 स्थिर रखा जाता है।

  
(आरो कें मिश्रा)

सदस्य,  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर,

